सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-376/2022 **दिनांक- 11-नवम्बर-2022**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – मुबारकपुर

चोरी की घटना का अनावरण, चोरी के सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 10.11.2022 को वादिनी मुकदमा मंशा देवी पत्नी सुनिल कन्नौजिया निवासी कुकुरसंडा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि दिनांक 9.11.2022 को अपने घर अपने मायके फतेहपुर से अपने घर आई तो मेरे घर में रखा हुआ मनटिका,नथिया,मंगलसूत्र,करधनी,कमरबन्द,पैजनी चोरी हो गयी है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 348/2022 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 दशाराज सिंह द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 10.11.2022 को उ0नि0 दशाराज सिंह व उ0नि0 रामकृष्ण सिंह मय हमराह कर्मचारीयो के द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश मे आये अभियुक्त अमित कनौजिया पुत्र अरविन्द कनौजिया निवासी अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को अशरफिया यूनिवर्सिटी तिराहे से समय करीब 20.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 348/2022 धारा- 380/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक अदद मानटिका, एक अदद नथिया मय सहारा, एक अदद मंगलसुत्र लाकेट, (सोने की) एक अदद करधनी, एक अदद हाथ प्लानी, एक जोड़ी पैजन (चांदी की)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 श्री दशाराज सिंह थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़
उ0नि0 रामकृष्ण सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
हे0का0 शाहिद अली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
का0 मुकेश चौधरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
म0का0 मनीषा भारती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

महिला को तीन तलाक देने व दहेज के लिये प्रताड़ित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - दिनांक 17.09.2022 को वादिनी /पीड़िता को विपक्षी लारेब पुत्र निसार अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ व उसके परिवार द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित करने मारने पीटने गाली देने व जाने से मारने की धमकी देने के संबंध में दिनांक 9.10.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 441/22 धारा 498 A, 323/504/506 भादवि धारा 3/4 डीपी एक्ट वनाम 1. लारेब पुत्र नेसार अहमद 2. नेसार पुत्र कुदूस 3. आसिया पत्नी नेसार अहमद निवासीगण फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/4 मुस्लिम विवाह से महिलाओं का संरक्षण अधि0 की वृद्धि की गई है।

2. गिरफ्तारी का विवरण –प्राप्त सूचनानुसार उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराहियान के फरिहा बूथ पर मौजूद थे , कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त लारेब पुत्र नेसार अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ नायरा पेट्रोल पंप फरिहा के पास खड़ा है जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराह के द्वारा मौके पर पहुचकर अभियुक्त लारेब उपरोक्त को उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त बताकर आज दिनांक 11.11.2022 को समय 12.05 बजे हिरासत मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्य्रवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 441/22 धारा 498 A, 323/504/506 भादवि धारा 3/4 डीपी एक्ट व धारा 3/4 मुस्लिम विवाह से महिलाओं का संरक्षण अधि0 थाना निजामाबाद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u> लारेब पुत्र निसार अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. उ0नि0 नवल किशोर सिंह हे0 का0 सतीश यादव थाना निजामाबाद आजमगढ

थाना- जहानागंज

<u>लड़की को अगवा कर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पूर्व की घटना- दिनांक 29.08.22 को वादी मुकदमा थाना जहानागंज आजमगढ़ ने लिखित प्रा0पत्र दिया कि मेरी लड़की विद्यालय पढने गयी परन्तु शाम तक घर नही आई तो खोजबीन करना शुरु किया रात 10 बजे मो0नं0 760xxxxxxx से फोन आया कि मै सहेली के साथ हूँ। सुबह घर आ जाऊँगी मै उसके नम्बर पर फोन किया तो मोबाईल स्वीच आफ हो गयी लड़की सुबह तक घर नही आई जानकारी हुई कि बगल के गाँव बरहतीर जगदीशपुर के चौहान बस्ती के बसन्त चौहान का लड़का नन्हकू चौहान और उसका जीजा लड़की को लखनऊ लेकर भाग गया है जिसका मोबाईल नं0 63xxxxxxx और दूसरा नं0 969xxxxxx है। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 362/22 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 11.11.2022 को उ0नि0 योगेन्द्र पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दशाई चौहान उर्फ रजनीश उपरोक्त के घर से समय करीब 10.10 बजे लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 362/22 धारा 363/366 आईपीसी थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- 1 दशाई चौहान उर्फ रजनीश पुत्र बसन्त चौहान निवासी बरहतिर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण</u>

1- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार पाल का0 टारजन गौड़ थाना जहानागंज आजमगढ़

<u>थाना – रौनापार</u>

<u>दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार</u>

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक- 09.11.2022 को आवेदिका थाना सहारन जनपद फरीदाबाद हरियाणा हाल पता थाना रौनापार जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 07.11.2022 प्रतिवादी द्वारा वादिनी के साथ झाड फूक करते समय जोर जबरदस्ती कर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 376/22 धारा 376 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बनाम (1) पारस पुत्र सतिराम यादव निवासी पकडिहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

2. गिरफ्तारी का विवरण............. दिनांक 11.11.22 को थानाध्यक्ष कौशल पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पारस पुत्र सतिराम यादव निवासी पकडिहवा थाना रौनापार आजमगढ़ को ग्राम चालाकपुर मोड़ के पास से समय करीब 10.40 बजे अभियुक्त पारस पुत्र सतिराम यादव निवासी पकडिहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ को हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 376/22 धारा 376 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- पारस पुत्र सतिराम यादव निवासी पकडिहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

का0 राहुल यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

का0 सुमित कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़